राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रहलाद बनाम पूरणमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1265/2025	
02/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 10/04/2026 को पेश हो	 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
10/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 16/05/2025 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किया जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी प्रश्नगत आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसको सुनवाई का अवसर दिये बगैर सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित करने में क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है	विधिअनुसार एक रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी खाते की आराजी के स्वतंत्र उपयोग-उपभोग से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है	इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये एवं तत्पश्चात भी व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के आज्ञापक प्रावधान की पालना नही किया जाना स्पष्ट होता है	इसके अतिरिक्त उद्धरित तथ्यों से प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में जाहिर होते है	ऐसी स्थिति में अधिस्न्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाना न्यासंगत प्रतीत नही होता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश दिनांक 16/05/2025 निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है	साथ ही न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रहलाद बनाम पूरणमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1265/2025 39 नियम 03 के आज्ञापक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का शीघ्रता से विधिसम्मत निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	